न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन **अधिकारी** :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली **संख्या**. 39 / 2020
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : **16.10.2020** निर्णय दिनांक : 21.05.2025

उनवान

1. उदयराम पिता जीतु जाति जाट
2. रमेश पिता जीतु जाति जाट
3. जगदीश पिता जीतु जाति जाट
4. शकरी बाई पत्नी जीतु जाति जाट
   सभी निवासीयान लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. हीरालाल पिता नारू जाति सालवी निवासी लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार
विपक्षी की ओर से :– अधिवक्ता रतनलाल रावत

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लोढियाणा पटवार हल्का लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 118 पुराना 124 के आराजी नम्बर 663 कुल किता 01 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 13 पुराना 27 के आराजी नम्बर 682, 683 कुल किता 02 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 7 / 60 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 प्रत्येक का 5 / 96 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 का 25 / 96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 का 7 / 60 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के संयुक्त स्वामित्व की होकर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ही उपयोग उपभोग कर रहा हैं तथा उक्त भूमि में विपक्षी का कोई हक अधिकार व आधिपत्य नहीं हैं। उपरोक्त वर्णित जमीन प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही हैं उक्त भूमि के चारो तरफ प्रार्थीगण ने अपनी बाड व कच्चे पत्थरो की दिवार बना रखी हैं और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण उपयोग

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

उपभोग कर रहे हैं। तथा भूमि के पास ही प्रार्थीगण ने अपनी काटो की बाड बना रखी हैं तथा उसमें अपनी रोडी डाल रखी हैं तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि का उपभोग उपभोग करते हैं तथा उक्त भूमि रोड के सहारे सहारे चल रही हैं। उक्त भूमि मुख्य सडक के किनारे किनारे आ गयी हैं तथा विपक्षी गांव का सरपंच हैं उसने गांव के कुछ लोगो ने मिलकर एक गिरोह बना लिया हैं और जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। विपक्षी का वादग्रस्त भूमि पर कुछ भी लेना देना नही हैं, तथा उक्त भूमि के किनारे किनारे प्रार्थीगण की दिवार बनी हुई हैं परन्तु विपक्षी ने गांव के लोगो से मिलकर प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से प्रार्थीगण की भूमि में पक्का निर्माण करवा जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता है जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी सरपंच हैं और वह प्रार्थीगण की भूमि में गांव के कुछ लोगो से मिलकर वादग्रस्त भूमि में निर्माण करवाना चाहता हैं। विपक्षी के मन बदनियती आ गयी है और वह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के हक अधिकार की वादग्रस्त भूमि में प्रवेश कर उसे बेदखल करना चाहता हैं, तथा विपक्षी यह एलानिया धमकी दे रहे हैं कि वह जबरन प्रार्थीगण को उसकी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लेगे और प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तथा उसमें निर्माण करा देगे उसमें सार्वजनिक प्रतिक्षालय बना देगे या उसमें सार्वजनिक प्याउ पो आदि की निर्माण करवा देगे तथा विपक्षी के आने जाने वाले रास्ते में उक्त निर्माण करा उस रास्ते को भी बन्द कर देगे। जिसका उन्हें कोई अधिकार नही हैं। विपक्षी कानून को हाथ में लेकर प्रार्थीगण को वाद ग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं, तथा प्रार्थीगण के भूमि में प्रवेश करने वाले प्रार्थीगण की आराजी में निर्माण करवा उसे पंचायत में मिलाना चाहते है तथा उस पर प्रतिक्षालय प्याउ आदि निर्माण करवा प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं। इसलिये विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना नितान्त अनिवार्य हैं। अन्यथ विपक्षी प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर उक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण करा लेगा जिससे प्रार्थीगण को भारी कष्ट व असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नही हैं। इन परिस्थितियो में यह आवश्यक हो गया हैं कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बदेखल नहीं करें न ही उसके उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचावें न ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण करें, न उक्त कृत्य स्वयं करें न नौकर चाकर एजेन्ट से करावें तथा मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का सुदृढ होकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जाता हैं तो अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी को ही होने वाली हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण के पक्ष में और विपक्षीगण के विरूद्ध मुल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बदेखल नही करें, उसकी भूमि में निर्माण नही करें, तथा मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की तरफ से अधिवक्ता रतनलाल रावत ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्सा स्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी जमीन की सीमा के बाहर कोई कब्जा आदि नही कर रखा है, एवं कोई रोडी वगेरा भी नही डाल रखी है। जहां वादीगण एवं प्रतिवादीगण की जमीन की सीमा समाप्त होती है उसके आगे ग्राम पंचायत लोढियाणा की आबादी जमीन आ गई है एवं उसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कोई हक, आधिपत्य, आधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 01 हीरालाल ग्राम पंचायत लोढियाणा का वर्तमान सरपंच है एवं प्रतिवादीगण आबादी भूमि मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य अथवा कोई पक्का निर्माण कार्य नही करवा रहे है। यदि कोई निर्माण कार्य ग्राम पंचायत लोढियाणा के द्वारा करवाया जाता है ओर आबादी भूमि मे कराया जाता है तो वह निर्माण कार्य पंचायत की हैसियत से विधि सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण कार्य करवाया जायेगा, जिसमे वादीगण की खातेदारी जमीन मे निर्माण कार्य नही कराया जावें। जिस विवादग्रस्त स्थल के बारे मे वादीगण निर्माण कार्य करना बात रहे है, वहां पहले से ही सार्वजनिक पशुओ की प्याउ एवं सार्वजनिक कुंई बनी हुई है, उस सार्वजनिक कुंई एवं पशुओ की प्याउ के पास आबादी की छुटी हुई जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते है, प्रतिवादीगण कोई रास्ता बन्द नही करना चाह रहे है, क्यो कि वहां पहले से ही रास्ता छुटा हुआ है। वादीगण ने जब वाद ही विधि के विरूद्ध पेश किया है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी कराने के अधिकारी नही है। वादीगण ने मात्र अपनी खातेदारी जमीन का आधार बनाते हुए जमीन की सीमा के बाहर का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा कानूनन जारी करने के अधिकारी नही है। दिनांक 06.10.2020 को कोई वाद हेतुक ही उत्पन्न नही हुआ है। बिना वाद हेतुक के दावा पेश किया है जो काबिले खारिज है। वादी स्वयं उक्त वर्णित भूमियो के बारे मे संयुक्त शामलाती होना अंकित करता है एवं पक्षकारो के मध्य विभाजन हो जाने का अंकन करता है जो दोनो तथ्य विरोधाभाषी है। जब वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के मध्य काननून विभाजन हो गया है तो प्रतिवादी संख्या 02 से 06 को इस वाद मे पक्षकार क्यो बनाया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यो एवं सबुतो के गलत अभिवचनो के आधार पर प्रस्तुत किया है, इसलिए भी वाद प्रथम दृष्टिया खारीज होने योग्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि, उससे बाहर छुटी हुई भूमि ग्राम पंचायत लोढियाण की आबादी भूमि है, उस भूमि के संदर्भ में सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत लोढियाणा को प्राप्त है। उस भूमि के संदर्भ में ग्राम पंचायत लोढियाणा को पक्षकार नही बनाया गया है एवं कानूनन की अडचन की वजह से वर्तमान सरपचं हीरालाल जो ग्राम पंचायत लोढियाणा का सरपंच है उसको नामजद पक्षकार बनाया गया है, यदि ग्राम पंचायत से कोई अनुतोष वादीगण को चाहिए तो जब तक ग्राम पंचायत लोढियाणा को उक्त दावे मे पक्षकार नही बनाया जाता तब तक यह वाद चलने योग्य नही है, मात्र सरपंच हीरालाल को हैरान परेशान करने की नियत से गलत रूप से वादीगण ने आलिप्त किया है, इसलिए भी दावा खारित होने योग्य है। वादीगण के द्वारा ग्राम पंचायत के विरूद्ध

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अनुतोष चाहने से पहले धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत् 02 माह का कानूनी नोटिस देना आवश्यक होता है, उसके अवसान के बाद सक्षम न्यायालय मे वाद पेश किया जाता है और आबादी भूमि के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सुनवाई की अधिकारीयाता न्यायालय सिविल जज साहब आमेट को प्राप्त है, आप न्यायालय को प्राप्त नही है, इसलिए भी उक्त वाद आप न्यायालय मे चलने योग्य नही है। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने केवल खाते की जमाबन्दी लगाते हुए खातेदारी जमीनो की सीमाओ के बाहर का अनुतोष आप न्यायालय से प्राप्त करना चाहते है, जो आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से यह दावा खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावें।

दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम लोढियाणा पटवार हल्का लोढियाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 118 पुराना 124 के आराजी नम्बर 663 कुल किता 01 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 13 पुराना 27 के आराजी नम्बर 682, 683 कुल किता 02 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रकरण संख्या 56/2020 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **21.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला–राजसमन्द